सादर प्रस्तुत है। समर्थ मुख्य/वन्यप्राणी वी.सी.एफ. लिया जावे
07/2

विविध
07/2/17

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल,शाजापुर

क्रमांक/पी.ओ.आर./2017/318 शाजापुर दिनांक 5·2·17

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन, वृत्त उज्जैन

विषय :– कोर्ट केस नम्बर 42/22/3/16, (वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5066/21 दिनांक 29.02.16), अब्दुल रशीद पिता अब्दुल लतीफ निवासी नलखेड़ा के अन्तर्गत प्राप्त माननीय न्यायालय के निर्णय की सूचना सम्बन्धी प्रतिवेदन देने बाबत्।

संदर्भ :– वन परिक्षेत्र अधिकारी सुसनेर का पत्र क्रमांक वृ्य.–1 दिनांक 04.02.2017

--- 0 ---

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वन परिक्षेत्र सुसनेर अंतर्गत आरामशीन मालिक श्री अब्दुल रशीद पिता श्री अब्दुल लतीफ निवासी नलखेड़ा की आरामशीन चेकिंग के दौरान रात्रि के समय लगभग 11 पीएम पर आरामशीन संचालित पाई गई है, जो म.प्र. काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 की धारा 4, (2)क का उल्लंघन पाये जाने पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5066/21 दिनांक 29.02.16 पंजीबद्ध किया गया। संबंधित आरामशीन मालिक के द्वारा पूर्व में भी कई बार वन अपराध प्रकरण किये जाने पर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका निर्णय होकर संदर्भित पत्र द्वारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुसनेर ने इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है (न्यायालय के आदेश की छायाप्रति संलग्न है), जिसमें उक्त आरामशीन मालिक को तीन माह के सश्रम कारावास तथा 6000/–रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :– न्यायालय के आदेश की छायाप्रति।

(लवित भारती)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

क्रमांक/पी.ओ.आर./2017/319 शाजापुर दिनांक 5·2·17

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (संरक्षण) भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

813
8/2/17

(लवित भारती)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

D://p.o.r. files-2015

कार्यालय वनपरिक्षैत्राधिकारी,परिक्षैत्र सुसनेर
जिला आगर मालवा वनमण्डल शाजापुर (म0प्र0)

क्र./Q-1 आगर,दिनांक :- 04/02/17

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय,

635 सामान्य वनमण्डल शाजापुर

5.2.17

विषय :- कोर्ट केस नम्बर 42/22/3/16, (वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5066/21 दिनांक 29.02.16), अब्दुल रशीद पिता अब्दुल लतीफ निवासी नलखेडा के अन्तर्गत प्राप्त माननीय न्यायालय के निर्णय की सूचना सम्बन्धी प्रतिवेदन देने बाबद्।

– 0 –

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि वनपरिक्षैत्र सुसनेर मे आरामशीन संचालक अब्दुल रशीद पिता अब्दुल लतीफ के विरूद्ध दर्ज किये गये वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5066/21 दिनांक 29–02–2016 का परिवाद, माननीय न्यायालय प्रथम श्रैणी नलखेडा के समक्ष, दिनांक 22–03–16 को कोर्ट केस नम्बर 42/22/3/16 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालीन प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दिनांक 27–01–2017 को निर्णय घोषित किया। जिसमे आरोपी अब्दुल रशीद पिता अब्दुल लतीफ को उस पर लगे आरोप 29–02–16 को रात्री 11 बजे आरामशीन का संचालन करने तथा आरामशीन से पीपल,सेमल की लगभग 20 क्विंटल की लकडी का चिरान कर रात्री मे आरामशीन का संचालन करने के लिए, मध्यप्रदेश काष्ट चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 22 के अन्तर्गत बनाये गये नियम 4 (2) क, का उल्लघंन करने का दोषी माना, जिसके लिये काष्ट चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 13 के अनुसार दण्ड हेतु प्रावधानित किया। माननीय न्यायालय ने आरोपी के अभियोग पत्र मे उल्लेखित, दर्ज पूर्व प्रकरण क्रमांक 202/15 मे दोष सिद्ध पाया। माननीय न्यायालय ने वनो के तेजी से हो रहे दोहन तथा दिन–रात आरामशीनो के संचालन से पर्यावरण पर पड रहे विपरीत प्रभाव को भी, समाज के विरूद्ध एक प्रकार का अपराध माना। अतः माननीय न्यायालय ने अभियुक्त की पूर्व की दोष सिद्धी एवं परिस्थितियो पर विचार उपरान्त अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत अभियुक्त को 3 माह के सश्रम कारावास तथा 6000/– (छः हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड अदा न किये जाने पर आरोपी को 02 माह का पृथक से कारावास भुगतने के लिए आदेशित किया। माननीय न्यायालय ने जप्तशुदा आरामशीन को नियमानुसार राजसात किये जाने का आदेश दिया तथा आरोपी के जमानत मुचलके भार हीन किये जाने का आदेश दिया।

5.1.17

प्रतिवेदन सूचनार्थ श्रीमान की सेवा मे सादर प्रेषित।

सलंग्न :- माननीय न्यायालय के निर्णय की छायाप्रति।

वनपरिक्षैत्राधिकारी
परिक्षैत्र,सुसनेर

F:\FOREST\R-Susner.doc

न्यायालयः मनीष भट्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नलखेडा (म0प्र0)

(समक्ष : मनीष भट्ट)

आपराधिक प्रकरण कमांक 42/2016

संस्थित दिनांक 22.03.2016

वन परक्षित्र सुसनेर के सहायक
वृत नलखेड़ा के परिक्षेत्र अधिकारी
वन मंडल शाजापुर .... **अभियोगी**

विरूद्ध

1. अब्दुल रशीद पिता अब्दुल लतीफ
उम्र 65 वर्ष निवासी नलखेड़ा

.... **अभियुक्त/गण**

–: नि र्ण य :–

(आज दिनांक 27.1.17 को घोषित किया गया)

01. आरोपी पर मध्यप्रदेश काष्ट चिरान (विनियम) अधिनियम 1984 की धारा 13 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 29.02.2016 को रात्रि 11.00 बजे आरामशीन का संचालन किया तथा आरामशीन से पीपल, सेंमल की लगभग 20 क्विंटल की लकड़ी का चिरान कर रात्रि में आरामशीन का संचालन कर मध्यप्रदेश काष्ट चिरान (विनियम) अधिनियम 1984 के तहत बनाये गये नियमों का उल्लघंन किया।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है, दिनांक 29.02.2016 को उप मंडलाधिकारी शाजापुर के निर्देशन में वन मंडल शाजापुर का वन स्टॉफ रात्रि गश्त हेतु निकला था, रात्रि में 11.00 बजे नलखेड़ा में आमला चौराहे पर गश्ती पर पहुंचे तो चौराहे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित अब्दुल रसीद खां की आरामशीन चलती पायी गयी, जहां पीपल तथा सेंमल की लकड़ी का संतरे की पेटी हेतु चिराप हो रहा था। वनरक्षक सीताराम तिवारी ने आरामशीन का संचालन बंद कराया तथा मौका पंचनामा व जप्तीनामा बनाया एवं आरामशीन की चाबी अपनी सुपुर्दगी में ली। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन एवं संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा मध्यप्रदेश काष्ट चिरान (विनियम) अधिनियम 1984 की धारा 22 के अंतर्गत बनाये गये नियम 4 (2) क, का उल्लघंन किया, जो मध्यप्रदेश काष्ट चिरान (विनियम) अधिनियम 1984 की धारा 13 के अनुसार दंड हेतु प्रावधानित है।

03. आरोपी द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया। अभियुक्त कथन में उसने स्वयं को झूंठा फंसाना प्रकट किया हैं। एवं यह प्रकट किया गया कि वन विभाग वाले पैसा मांगते है, पैसा नहीं देने पर झूठा फंसाया। बचाव साक्ष्य में अब्दुल रसीद पिता अब्दुल लतीफ एवं अब्दुल रईस पिता अब्दुल रसीद द्वारा स्वंय को परीक्षित करवाया गया।

04. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :–

01. क्या आरोपी ने दिनांक 29.02.2016 को रात्रि 11.00 बजे आरामशीन का संचालन किया तथा आरामशीन से पीपल, सेंमल की लगभग 20 क्विंटल की लकडी का विरान कर रात्रि में आरामशीन का संचालन कर मध्यप्रदेश काष्ट चिरान (विनियम) अधिनियम 1984 के तहत बनाये गये नियमों का उल्लघन किया।

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय बिन्दु क. 01 :–

05. सीताराम तिवारी असा0 05 का कहना है, कि वह परिक्षेत्र शाजापुर, वन मंडल शाजापुर, वृत्त उज्जैन में बेरछा वीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ है। उप मंडलाधिकारी शाजापुर द्वारा टीम गठित करके यह निर्देश दिये गये कि रात्रि में गश्त के लिये टीम प्रभारी नवनीत चौहान के साथ जाना है। उप मंडलाधिकारी द्वारा नवनीत चौहान, प्रेमनारायण परमार व उसकी टीम गठित की गयी थी, फिर वह रात्रि गश्त के लिये निकले थे। यह घटना दिनांक 29.02.2016 की है। रात्रि गश्त करते हुये वह शाजापुर से निकलकर आगर, आगर से आमला और आमला से नलखेडा आये। नलखेडा में रात्रि गश्त के दौरान वह लोग रसीद खां की आरामशीन के सामने से गुजर रहे थे, तो उन्हें मशीन की चलने की आवाज आयी, तो वह लोग मौके पर पहुंचे। वहां मौके पर तीन लोग थे, जिसमें से एक भाग गया था। वहां पर उन्होंने देखा कि संतरे की पेटी के लिये, पीपल और सेंमल की लकड़ी का चिरान हो रहा है। वहां पर उन्होंने कार्यवाही की। मौके पर नवनीत ने मौका पंचनामा प्रदर्श पी 1 का बनाया था, जिसके इ से इ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसके पश्चात नवनीत चौहान ने लकडी की जप्ती व मशीन की चाबी की कार्यवाही की थी, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 03 की कार्यवाही उसके समक्ष हुयी जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर उक्त कार्यवाही के पश्चात उसके द्वारा बाकी की कार्यवाही ऑफिस में आने के बाद की गयी थी। जुर्म की अव्वल रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा रसीद खां पिता लतीफ खां के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किये जाने की कार्यवाही की गयी थी। जुर्म की अव्वल रिपोर्ट के पिछले भाग पर सुपुर्दगीनामें के संबंध में भी उल्लेख किया गया था। मौके पर लगभग 20 क्विंटल लकडी उसनें देखी जो कि पीपल व सेंमल की थी। मौके पर उन्होंने रजिस्टर की मांग रईस खां से की थी,

किंतु उन्होंने रजिस्टर नहीं दिया था। उसके पश्चात चालानी कार्यवाही की गयी थी।

06. नवनीत चौहान असा0 01 का कहना है, कि वह दिनांक 29.02.16 को वनपाल के पद पर शाजापुर में पदस्थ था। उसके द्वारा उक्त दिनां को रात्रि 11.00 बजे के आसपास उनके वरिष्ठ अधिकारी राकेश लहरी के निर्देशानुसार वह रात्रि में गश्त पर गये थे। उनके साथ सीताराम तिवारी वनरक्षक, प्रेमनाराया परमार वनपाल, एवं उनके शासकीय वाहन का ड्रायवर दुलेसिंह था। वह आगर होते हुये नलखेड़ा क्षेत्र में आये। आरोपी रसीद की आरामशीन उस वक्त चालू थी और आरोपी रसीद भी वहीं पर था। उक्त आरोपीगण संतरे की पेटी के लिये पीपल और सेंमल की लकड़ी को चीरकर पेटी की साइज बना रहे थे। कुल वहां पर 20 क्विंटल काष्ठ पडी हुयी थी। उक्त 20 क्विलंटल लकड़ी चिरान की उन्होने आरोपी रसीद के बेटे रईस खां को सौंप दी थी, उक्त सुपुर्दगीनामा साक्षी दुलेसिंह व एक अन्य साक्षी के समक्ष बनाया जो प्रदर्श पी 02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में उसके द्वारा साक्षी सलमान, कमल के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसके पश्चात मय दस्तावेजों के उक्त प्रकरण जांच हेतु सुसनेर वन परिक्षेत्र अधिकारी रमाकांत चौबे को सौंप दी थी।

07. दुलेसिंह असा0 02 का कहना है, कि शाजापुर से गश्त करते हुये लगभग 6 माह पूर्व नवनीत चौहान डिप्टी रेंजर के साथ भ्रमण के लिये निकले थे, रात्रि गश्त के दौरान कानड़, आगर से आमला जोड़ होते हुये नलखेड़ा आये थे। नलखेड़ा में रात में लगभग 10–10.30 बजे पहुंचे थे, वहां पर एक आरा मशीन चलती हुई पायी थी, जो रात्रि में चल रही थी। वह साहब की गाड़ी चलाकर लाया था, वह ड्रायवर है। वहां पर स्टॉफ ने कार्यवाही की थी। प्रदर्श पी 01 के मौके पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर है, जो प्रदर्श पी 01 के बी से बी भाग पर है। जप्तीनामा प्रदर्श पी 03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, यह हस्ताक्षर मैंने मौके पर ही किये थे। साथ में जो स्टॉफ आया था, उन्होंने मशीन के संबंध में कोई कार्यवाही की थी, इसलिये उसके हस्ताक्षर करवाये थे। प्रदर्श पी 02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

08. सलमान असा0 03 का कहना है, कि वह नलखेड़ा में रहता है। अब्दुल रसीद की आरामशीन पर वन विभागवालों ने कार्यवाही की थी। वन विभाग वाले आये और उन्होंने कहा कि पंचनामा पर हस्ताक्षर कर दो वह पंचनामा बनायेगे। वह आरामशीन के बेरिंग चेक कर रहा था। रात के 11–11.30 बजे की बात है, वह उस समय आरामशीन के बेरिंग अब्दुल रसीद की आरा मशीन चेक कर रहा था। वन विभाग वालों ने आकर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। प्रदर्श पी 01 पर सी से सी भाग पर, प्रदर्श पी 02 पर सी से सी भाग पर तथा प्रदर्श पी 03 पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, जो उसनें मौके पर ही किये थे। प्रदर्श पी 04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

32

09. अब्दुल रसीद बसा0 01 का कहना है, कि तहसील नलखेडा के छात्रावास के पास उसकी आरामशीन है। आरामशीन का कार्य वह स्वंय देखता है। आरामशीन चलाने वाला मिस्त्री गुदरावन का बाबू माली है। रईस उसका लड़का है, जो अक्सर बाहर रहता है, तथा मवेशियों का धंधा करता है। नलखेड़ा में उसका अलग से घर है तथा उसका घर अलग है। उसनें आरामशीन के कार्य बावत् किसी को पॉवर ऑफ अटर्नी नहीं दे रखी। दिनांक 29.02.2016 को रईस आरामशीन पर नहीं गया। वह नलखेड़ा में था ही नहीं। वह आरामशीन पर जाता भी नहीं है। उसका धंधा अलग है। दिनांक 29.02.2016 को वह रात में उसके घर पर था। रात को उसके पास कोई फोन नहीं आया। आरामशीन के बेरिंग चूरा जाने (खराब) से आरामशीन उस दिन बंद थी, जो 8–10 दिन से बंद थी। सलमान मजदूरी का कार्य करता है। उसनें सलमान को रात को लगभग 10 बजे बेरिंग के नंबर देखने के लिये भेजा था, क्योकि उसे उसी नंबर का बेरिंग इंदौर से लाना था। रात को उसकी सलमान से कोई बात नहीं हुयी। सुबह सलमान ने उसे बताया कि रात को कोई पुलिसवालें आये थे, तथा उन्होंने उससे पूंछा कि तू क्या कर रहा है तो उसनें बोला कि वह बेरिंग के नंबर देख रहा है, तब आने वाले लोगो ने उससे 5 हजार रूपये मांगे थे, तो उसनें कहा कि उसके पास 5 हजार रूपये नहीं है। तो आने वाले अधिकारी सलमान से कोरे फार्म व कागज पर हस्ताक्षर करवाकर ले गये तथा आरामशीन में आरी के नीचे लगने वाली चाबी रहती है, उसे ले गये। यह बाते उसे सलमान ने सुबह बतायी। आरामशीन का बिजली का कनेक्शन वहां पर बने हुये कमरे में करवा रखा है। उसका मीटर स्टार्टर सब कमरे के अंदर ही है। कमरे का ताला लगा रहता है, उस दिन भी कमरे का ताला लगा था, तथा चाबी मेरे पास थी। उस दिन आरामशीन खराब थी, इसलिये चलने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। वहां पर कोई लकड़िया भी चिराई के लिये नहीं रखी थी। आरी के पास जो चाबी लगी रहती है, उसे पाने से खोल सकते है। अधिकारीगण ने रूपये मांगे थे, और उनको रूपये नहीं मिले इसलिये यह केस मेरे खिलाफ लगाया था।

10. अब्दुल रईस बसा0 02 का कहना है, कि आरोपी अब्दुल रसीद उसके पिता हैं। वह उसके पिता से अलग रहता है, वह मवेशी का व्यवसाय करता है, उसके पिता आरा मशीन का व्यवसाय करते हैं। वह आरा मशीन पर कभी नहीं जाता है, वह दिनांक 29.02.2016 को आगर गया था। दूसरे दिन शाम को वहां से वापस लौटा। वह दिनांक 29.02.2016 को रात्रि में आरा मशीन पर नहीं गया। साक्षी ने स्वतः कहा वह नलखेडा में नहीं था। वह सलमान खां पिता जफर खां निवासी नलखेडा, तथा कमल पिता बापूलाल निवासी नलखेडा को नहीं जानता। वह इनको लेकर कभी भी फारेस्ट ऑफिस शाजापुर नहीं गया। उसकी फारेस्ट ऑफिस वालों से कोई जान पहचान नहीं है। उसका उनसे कोई काम नहीं पडता। उसनें फारेस्ट आफिस वाले अधिकारीगण के किसी भी कागज पर कभी कोई साईन नहीं किये।

11. आरोपी द्वारा यह बचाव लिया गया है, कि वन अधिकारियों द्वारा 05 हजार रूपये की मांग की गयी तथा रूपये नहीं देने पर उसके विरूद्ध असत्य कार्यवाही की गयीं, किंतु इस संबंध में अब्दुल रसीद ब0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है, कि उसे मालूम नही है, कि किस अधिकारी ने पैसे मांगे तथा उसनें आज दिनांक तक कोई भी लिखित शिकायत नहीं की, कि उसकी आरामशीन घटना दिनांक को बंद थी, तथा उसके पश्चात भी झूठा केस 05 हजार रूपये नही देने पर बनाया गया। इस प्रकार स्वंय आरोपी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में इस संबधं में कोई शिकायत या कार्यवाही नही किया जाना प्रकट किया गया जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है, कि आरोपी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही, से बचने के लिये आरोपी ने वन विभाग के अधिकारियों पर असत्य रूप से आरोप लगाये जाने का आधार लिया है। इस संबंध में अभियोग पत्र में यह भी उल्लंख है, कि आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी कार्यवाही हुयी है तथा इस संबंध में आरोपी को पूर्व में आपराधिक प्रकरण क0 202/2015 में दोषसिद्ध भी पाया गया है। इस आधार पर आरोपी का बचाव विश्वासयोग्य दर्शित नहीं होता है।

12. आरोपी की ओर से यह भी बचाव लिया गया है, कि स्वतंत्र साक्षीगण ने अभ्योिजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है, तथा स्वतंत्र साक्षी सलमान अ0सा0 3, एवं कमल अ0सा0 4 अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते है। किंतु मात्र स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभ्योिजन कहानी का समर्थन नही किये जाने से अभ्योिजन कहानी का एवं वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गयी कार्यवाही पर अविश्वास किये जाने का कोई भी उचित आधार नहीं है। सामान्यतः स्वतंत्र साक्षियों द्वारा किसी अन्य के मामले से बचने की प्रवृत्ति होती है, इस आधार पर भी विवेचना अधिकारी एवं जप्ती अधिकारी की साक्ष्य को अविश्वासयोग्य नहीं माना जा सकता।

13. आरोपी की ओर से यह भी बचाव लिया गया है, कि आरोपी द्वारा आरामशीन का संचालन नहीं किया जाता है, किंतु इस संबंध में नवनीत चौहान अ0सा0 1 ने अपने कथनों में पकट किया है, कि आरोपी ने उसके लडके रईस को आरामशीन के संचालन के लिये पावर आफ अटर्नी दे रखी है। इस आधार पर भी आरोपी का यह बचाव विश्वासयोग्य नहीं है।

14. आरोपी की ओर से यह भी बचाव लिया गया है, कि जिस समय वन विभाग द्वारा कार्यवाही किया जाना बताया गया है, उस समय विधुत का संचालन भी नहीं हो रहा था तथा विधुत लाईन बंद थी, इस संबध में नवनीत चौहान अ0सा0 1 ने प्रतिपरीक्षण में यह प्रकट किया है, कि बल्व जल रहा था, इस आधार पर वह कह सकते है, कि विधुत लाईन चालू थी। इस संबंध में स्वंय आरोपी की ओर से यह सुझाव दिये गये है, कि मौके पर आटा चक्की चल रही थी, यदि विधुत का संचालन नहीं हो रहा था, तब आटा चक्की के संचालन की भी कोई संभावना नहीं थी। इस आधार पर यह बचाव भी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है, कि मौके पर आटा चक्की का

संचालन हो रहा था।

15. आरोपी की ओर से यह भी बचाव लिया गया है, कि अभियोजन के साक्षी दुलेसिंह असा0 2 प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है, कि उसके प्रदर्श पी 01 तथा 02 के कागज पर स्टॉफ वाले हस्ताक्षर कराने लाये थे। उसे कार्यवाही की जानकारी नहीं है, किंतु इस संबध में प्रदर्श पी 01 तथा 02 की कार्यवाही नवनीत चौहान असा0 2 द्वारा की गयी है, जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है।

16. आरोपी की ओर से यह भी बचाव लिया गया है, कि उपमंडल अधिकारी द्वारा टीम गठित किये जाने के संबधं में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही है, किंतु कार्यवाही के लिये उक्त प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता भी नही है। वन अधिकारी उक्त प्रकार की कार्यवाही करनें के लिये सक्षम है, तथा नवनीत चौहान वनपाल द्वारा जो कार्यवाही की गयी है, उसे इस संबंध में विधि विरूद्ध नहीं किया जा सकता।

17. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है, कि आरोपी ने दिनांक 29.02.2016 को रात्रि 11.00 बजे आरामशीन का चांलन किया तथा आरामशीनल से पीपल सेमंल की लगभग 20 क्विंटल की लकडी का चिरान कर रात्रि में आरामशीन का संचालन कर मध्यप्रदेश काष्ट चिरान (विनियम) अधिनियम 1984 के तहत बनाये गये नियमों का उल्लघंन किया। अतः आरोपी के उक्त अधिनियम की धारा–13 का अपराध प्रमाणित होता है।

18. प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु कुछ देर पश्चात् पेश हो।

(मनीष भट्ट)
जेएमएफसी, नलखेडा

पुनःश्च

19. आरोपी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने के संबंध में सुना गया। अपराध की प्रकृति एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुये आरोपी को परिवीक्षा में छोड़ा जाना उचित नहीं है। दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया है कि आरोपी के पूरे परिवार का भरण–पोषण का भार उस पर है। सजा से दंडित किये जाने पर उसके पूरे परिवार की भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। आरोपी आरामशीन संचालन करके अपने परिवार का भरण पोषण करते है तथा मजदूर पेशा व्यक्ति है। आरोपी के विद्ववान अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण के परिशीलन से यह दर्शित है, कि आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी उक्त अधिनियम के तहत ही अपराध प्रमाणित हुआ था, जिसके संबंध में अभियोग पत्र में उल्लेख भी किया गया है, तथा पूर्व में आरोपी को दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202/15 में दोषसिद्ध पाया गया था। वनों

का तेजी से दोहन हो रहा है, तथा दिन रात आरामशीनों के संचालन से पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव होता है, जो कि समाज के विरूद्ध भी एक प्रकार का अपराध है। अतः अभियुक्त की पूर्व की दोषसिद्ध एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत उसे 03 माह के सश्रम कारावास तथा 6,000/– (छः हजार) रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा नहीं किये जाने पर आरोपी 02 माह का पृथक से कारावास भुगतेगा।

20. आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत अवधि को सजा की अवधि में से कम किया जाये।

21. धारा – 428 दप्रस का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

22. जप्तशुदा आरामशीन को नियमानुसार राजसात किये जाने का आदेश किया जाता है।

23. आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते है।

Sd/-
(मनीष भट्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नलखेड़ा (म.प्र.)

Sd/-
(मनीष भट्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नलखेड़ा (म.प्र.)

True Copy
for Accused

(मनीष भट्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नलखेड़ा (म०प्र०)

प्रतिलिपि

C.A.No.15[illegible]

न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, सुसनेर

अ. रशीद खां पिता लतीफ खां, आयु 75 वर्ष,
निवासी नलखेड़ा थाना नलखेड़ा जि. आगर
मालवा म. प्र.

.... अपीलांट

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा – वन मण्डल अधिकारी सुसनेर

.... रेस्पाण्डेन्ट

30.01.17	अपीलार्थी अब्दुल रसीद खां पिता लतीफ खां सहित श्री आशीष जैन अभि0 ने उपस्थित होकर धारा 374 द0प्र0सं के अन्तर्गत यह अपील [illegible] नलखेड़ा श्री [illegible] महोदय द्वारा दाण्डिक प्रकरण कमांक 42 / 16 में पारित निर्णय दिनांक 22.01.17 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की। अपीलार्थी के अभि0 को सुना गया। अपील ज्ञापन में दर्शाए गए तथ्यों को देखते हुए [illegible] अपील अंतिम सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है। प्रकरण दर्ज किया जाय। अपीलार्थी की ओर से धारा 389 द0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अपील का निराकरण होने तक विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दण्डादेश को स्थगित रखे जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि आरोपी अपीलार्थी को धारा 13 म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के अंतर्गत अपराध का दोषी पाते हुए तीन माह के सश्रम कारावास और 6000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	15/03/15 2214 [signature] 17/3/17

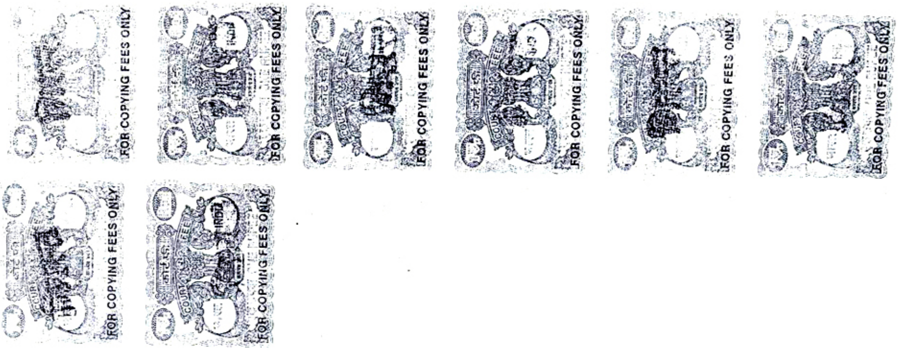

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

विचारण के दौरान आरोपी जमानत पर था और [illegible] द्वारा [illegible] राशि जमा करा दी गई। अपील की [illegible] है।

[illegible] अपील का निराकरण [illegible] [illegible] की सजा का स्थगन [illegible] उन्हें [illegible] स्वीकार किया जाता है अपीलार्थी को [illegible] रुपये की जमानत और इतनी ही राशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर उसे दी गई कारावास की सजा का स्थगित [illegible]।

विचारण न्यायालय का रिकार्ड बुलाया जाय।

आदेश की प्रतिलिपि जे0एम0एफ0सी0 बलखेड़ा को भेजी जाय।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक 17.03.17 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
क0सी0 यादव
अपर सत्र न्यायाधीश सुसनेर

CA No. 150/17 [illegible] 30.1.17
[illegible] 30.1.17
30.1.17
[illegible] 30.1.17

30.1.17

प्रतिलिपि [illegible] 30.1.17
[illegible]

[illegible] 30.1.17
[illegible] 30.1.17
[illegible] 08.00

प्रतिलिपिकार [illegible]